



राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

माघ 16, गुरुवार, शाके 1930—फरवरी 5, 2009  
Magha 16, Thursday, Saka 1930—February 5, 2009

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 5, 2009

संख्या प.2(1)विधि/2/2009:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 फरवरी, 2009 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।-

मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 4)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 फरवरी, 2009 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्ता और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके;

और यतः ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, उच्चतर शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे

विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है;

और यतः मेवाड़ शिक्षा सोसाइटी, चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सेक्टर-5, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगी हुई है और कई शिक्षण संस्थाएं चला रही है जो प्रबंधन और प्रौद्योगिकी, उद्योग, आयुर्वेद और नर्सिंग आदि जैसी शाखाओं में शिक्षा प्रदान कर रही हैं;

और यतः उक्त मेवाड़ एजूकेशन सोसाइटी चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान राज्य में ग्राम गंगरार, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ में अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट, भौतिक और शैक्षणिक, दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने के लिए सहमत हो गयी है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए एक करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है ;

और यतः उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर, विशेषाधिकारी, उच्चतर शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर, आचार्य आर.ए.गुप्ता, आचार्य, वैद्युत, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर, आचार्य के.सी.सोडानी, संकायाध्यक्ष, वाणिज्यसंकाय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, आचार्य एम.पी.शर्मा, प्राचार्य, विद्या भवन शिक्षक महाविद्यालय, उदयपुर, डॉ. राकेश कुमार, सलाहकार, (प्रशासन) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली थे ;

और यतः यदि पूर्वोक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त मेवाड़ एजूकेशन सोसाइटी चित्तौड़गढ़ को विश्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के शैक्षणिक विकास में योगदान होगा ;

अतः अब भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नालिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह 21 सितम्बर, 2008 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) "अ.भा.त.शि.प." से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
- (ख) "वै.औ.अ.प." से केन्द्रीय सरकार की वित्तपोषण एजेन्सी—वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली अभिप्रेत है;
- (ग) "दू.शि.प." से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 50) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
- (घ) "दूरस्थ शिक्षा" से संचार अर्थात् प्रसारण, टेलीकॉर्सिटंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किसी भी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गयी शिक्षा अभिप्रेत है;
- (ङ) "वि.प्रौ.वि." से केन्द्रीय सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है;
- (च) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं;
- (छ) "फीस" से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से किसी भी प्रकार के किसी भी नाम से किया गया संग्रहण अभिप्रेत है जो प्रतिदेय नहीं है;
- (ज) "सरकार" से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (झ) "उच्चतर शिक्षा" से 10+2 स्तर के ऊपर ज्ञान के अध्ययन के लिए पाठ्यचर्चा या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

- (अ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं या केन्द्रों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में संधारित या मान्यताप्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;
- (ट) "भा.कृ.अ.प." से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है;
- (ठ) "भा.आ.प." से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 102) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अभिप्रेत है;
- (ड) "रा.नि.प्र.प." से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था-राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्, बंगलोर अभिप्रेत है;
- (ढ) "रा.अ.शि.प." से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 73) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
- (ए) "निवेश बाह्य केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य निवेश के बाहर स्थापित उसका, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और संधारित कोई केन्द्र अभिप्रेत है जिसमें विश्वविद्यालय की पूरक सुविधाएं, संकाय और स्टाफ हो;
- (त) "भा.औ.प." से भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 8) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय औषध परिषद् अभिप्रेत है;
- (थ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये, परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (द) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या अधीन स्थापित या गठित कोई निकाय जैसे वि.अ.आ., अ.भा.त.शि.प, रा.अ.शि.प., भा.आ.प., भा.औ.प., रा.नि.प्र.प., भा.कृ.अ.

- प., दू.शि.प., वै.आौ.अ.प. आदि अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य सरकार सम्मिलित हैं;
- (घ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन, बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (न) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (प) "प्रायोजक निकाय" से मेवाड़ एजूकेशन सोसाइटी अभिप्रेत है जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है; और जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. 110/ चित्तौड़गढ़ / 2001-2002, दिनांक 21-12-2001 है;
- (फ) "परिनियम", "आर्डिनेन्स" और "विभिन्न विधय" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के कमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विभिन्न अभिप्रेत हैं;
- (ब) "विश्वविद्यालय, का छात्र" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए, जिसमें अनुसंधान उपाधि सम्मिलित है, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो;
- (भ) "अध्ययन केन्द्र" से दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में सलाह देने, परामर्श करने या छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और संधारित या मान्यताप्राप्त कोई केन्द्र अभिप्रेत है;
- (म) "अध्यापक" से विश्वविद्यालय के पाठ्यवर्ष का अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए

अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(य) "वि.अ.आ." से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है; और

(यक) "विश्वविद्यालय" से मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ अभिप्रेत है।

3. निगमन.— (1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति और प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, से इसके द्वारा मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जाता है।

(2) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट जंगम और स्थावर संपत्ति विश्वविद्यालय में निहित की जायेगी और प्रयोजक निकाय इस अधिनियम का प्रारंभ होने के ठीक पश्चात् ऐसा निश्चित करने के लिए कदम उठायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय ग्राम गंगरार, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ में अवस्थित होगा और वहीं उसका मुख्यालय होगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.— विश्वविद्यालय के उद्देश्य अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में और ऐसी अन्य शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर अवधारित करे,

अनुसंधान और अध्ययन हाथ में लेने तथा उक्त शाखाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने और ज्ञान के प्रसार करने के हैं।

**5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य।—** विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में शिक्षण का उपबंध करना और अनुसंधान और ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए उपबंध करना ;

(ख) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को परीक्षाओं, मूल्यांकन या किसी भी अन्य रीति से परीक्षण के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देना और उपाधियां या अन्य शैक्षणिक उपाधियां प्रदान करना, और ठोस और पर्याप्त कारण से किन्हीं भी ऐसे डिप्लोमां, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य शैक्षणिक उपाधियों को वापस लेना ;

(ग) निवेश बाह्य अध्ययन और विस्तार सेवा आयोजित करना और हाथ में लेना ;

(घ) विहित रीति से मानद उपाधियां या अन्य उपाधियां प्रदान करना ;

(ङ) पत्राचार सहित शिक्षण और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम, जो अवधारित किये जायें, का उपबंध करना ;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन, या शैक्षणिक पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्ति करना ;

(छ) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों को सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

- (ज) स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत विनिर्दिष्ट ज्ञान वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना ;
- (ङ) किसी भी अन्य पिश्वविद्यालय या प्राधिकारी या संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए सहकार करना, सहयोग करना या सहयुक्त करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे ;
- (ज) अध्ययन केन्द्र स्थापित करना, और अनुसंधान और शिक्षण के लिए विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों का संधारण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं ;
- (ट) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना ;
- (ठ) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना करना और उनका संधारण करना ;
- (ड) अनुसंधान और परामर्श के लिए उपबंध करना, और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थानों या निकायों के साथ ऐसे समझौते करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;
- (ढ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई भी अन्य रीति सम्मिलित हो सकेगी ;
- (ण) फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और संदाय प्राप्त करना ;
- (त) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना ;

- (थ) छात्राओं के संबंध में ऐसी विशेष व्यवस्थाएं करना जिन्हें विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;
- (द) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और विद्यार्थियों में अनुशासन का विनियमन और प्रवर्तन करना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाये ;
- (ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वारक्ष्य और सामान्य कल्याण के उन्नयन के लिए व्यवस्था करना ;
- (न) दान प्राप्त करना और किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना, प्रबंध करना और व्ययन करना ;
- (प) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए, प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से धन उधार लेना ;
- (फ) प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति को बंधक या आडमान रखना ;
- (ब) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना ;
- (भ) यह सुनिश्चित करना कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों इत्यादि का स्तर उससे कम नहीं हो जो अ.भा.त.शि.प., रा.अ.शि.प., वि.अ.आ., भा.आ.प., भा.औ.प. और शिक्षा के विनियमन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित वैसे ही अन्य निकायों द्वारा अधिकथित किये गये हों ;
- (म) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के भीतर या बाहर बाह्य निवेश केन्द्र स्थापित करना ; और
- (य) ऐसे सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी उद्देश्यों या उनमें से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना .— विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7. संबद्ध करने की शक्ति का न होना .— विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था को संबद्ध करने या अन्यथा अपने विशेषाधिकार देने की शक्ति नहीं होगी ।

8. विन्यास निधि .— (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र एक करोड़ रुपये की राशि से, जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को जमा करवा दी गयी है, विन्यास निधि स्थापित की जायेगी ।

(2) विन्यास निधि का प्रतिभूति निक्षेप के रूप में उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है और इस अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनेंसों के उपबंधों के अनुसार कार्य करता है। यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार को सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसका भाग विहित रीति से समप्रहृत करने की शक्ति होगी ।

(3) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोजन विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जा सकेगा किन्तु उसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जायेगा ।

(4) विन्यास निधि की रकम, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी या प्रत्याभूत दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विश्वविद्यालय के नाम से विनिहित की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक विनिहित रखी जायेगी या सरकारी खजाने में व्याज वाले प्रायोजक निकाय के व्यक्तिगत जमा लेखा

में जमा की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक जमा रखो जायेगी।

(5) दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विनिधान के मामले में प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र राज्य सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे और सरकारी खजाने में ब्याज वाले व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा के मामले में जमा इस शर्त पर की जायेगी कि रकम राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना नहीं निकाली जायेगी।

9. साधारण निधि .— विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे साधारण निधि कहा जायेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगा, अर्थात् :—

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार ;
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय ;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों के अनुसरण में दी गयी परामर्शी सेवा और किए गये अन्य कार्य से प्राप्त आय ;
- (घ) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान ; और
- (ड) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां।

10. साधारण निधि का उपयोजन .— साधारण निधि का उपयोजन, विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित सभी आवर्ती या अनावर्ती व्ययों को पूरा करने में किया जायेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जायें, के बाहर, प्रबन्ध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जायेगा।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.— विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

- (i) कुलाधिपति ;

- (ii) कुलपति ;
- (iii) प्रतिकुलपति ;
- (iv) प्रोवोस्ट ;
- (v) कुलानुशासक ;
- (vi) संकायों के संकायाध्यक्ष ;
- (vii) कुल-सचिव ;
- (viii) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी ; और
- (ix) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

**12. कुलाधिपति .—** (1) कुलाधिपति राज्य सरकार की सहमति से, प्रायोजक निकाय द्वारा, उसके पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जायेगा और वह पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं होगा :

परन्तु कुलाधिपति, उसकी पदावधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) कुलाधिपति के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर भरी जायेगी।

(3) कुलाधिपति, उसके पदाभिधान से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(4) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, प्रबंध बोर्ड की बैठकों की और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(5) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में किसी भी सूचना या अभिलेख की अपेक्षा करना ;

- (ख) कुलपति नियुक्त करना ;
- (ग) धारा 13 की उप-धारा (8) के उपबंधों के अनुसार कुलपति को हटाना ; और
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

13. कुलपति.— (1) कुलपति की नियुक्ति प्रबंध बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उप-धारा (8) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वह व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह और कि कुलपति उसकी अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पंद धारित करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) कुलपति के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर भरी जायेगी।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा।

(4) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(5) यदि कुलपति की राय में किसी भी ऐसे मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सर्वप्रथम अवसर पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता :

परन्तु यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह और कि जहां कुलपति द्वारा की गयी ऐसी कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो ऐसा व्यक्ति, उसे संसूचित ऐसी कार्रवाई की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा और प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को पुष्ट या उपांतरित कर या उलट सकेगा।

(6) यदि, कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई भी विनिश्चय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संबंधित प्राधिकारी को उसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकेगा और यदि वह प्राधिकारी ऐसे विनिश्चय का पुनरीक्षण करने से इनकार करता है या विफल रहता है तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या आर्डिनेंसों द्वारा विहित किये जायें।

(8) यदि कुलाधिपति का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि कुलपति का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, कुलपति से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

14. प्रतिकुलपति .— (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा कुलपति के परामर्श से की जायेगी।

(2) प्रतिकुलपति तीन वर्ष दरी कालावधि के लिए पद धारित करगा और दूसरी पदावधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) प्रतिकुलपति की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(4) यदि कुलाधिपति का, उसको किये गये किसी अन्याधेन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रतिकुलपति का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, प्रतिकुलपति से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट दी जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व प्रतिकुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(5) प्रतिकुलपति, ऐसे मामलों में, जो कुलपति द्वारा उसे समय-समय पर समनुदेशित किये जायें, कुलपति की सहायता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।

15. प्रोवोस्ट .— (1) प्रोवोस्ट की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) प्रोवोस्ट विश्वविद्यालय में अनुशासन को सुनिश्चित करेगा और अध्यापकों और कर्मचारियों के विभिन्न संघों को विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सूचित करेगा।

(3) प्रोवोस्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

16. कुलानुशासक .— (1) कुलानुशासक की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) कुलानुशासक छात्रों में अनुशासन बनाये रखने और विभिन्न छात्र संघों को विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सूचित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलानुशासक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

17. संकाय का संकायाध्यक्ष .— (1) प्रत्येक संकाय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) संकायाध्यक्ष, कुलपति के परामर्श से, जब कभी भी अपेक्षित हो, संकाय की बैठक बुलायेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। वह संकाय की नीतियां और विकास कार्यक्रम बनायेगा और उन्हें समुचित प्राधिकारियों को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(3) संकाय का संकायाध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

18. कुल-सचिव .— (1) कुल-सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) विश्वविद्यालय की ओर से कुल-सचिव द्वारा सभी संविदाएं हस्ताक्षरित और सभी दस्तावेज तथा अभिलेख अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

(3) कुल-सचिव प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् का सदस्य-सचिव होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. मुख्य वित्त और लेखाधिकारी .— (1) कुलपति द्वारा मुख्य वित्त और लेखाधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(2) मुख्य वित्त और लेखाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अन्य अधिकारी .— (1) विश्वविद्यालय इतने अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जितने उसके कृत्यकरण के लिए आवश्यक हों।

(2) ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी .— विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रबन्ध बोर्ड ; ~

(ii) विद्या परिषद् ; ✓

(iii) संकाय ; और ✓

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

22. प्रबन्ध बोर्ड .— (1) विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्देशित पांच व्यक्ति जिनमें दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंध या सूचना प्रौद्योगिकी का कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक विशेषज्ञ ;

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ ;

(च) आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा या उसका नामनिर्देशिती, जो उप संविव से नीचे की पंक्ति का न हो ; और

(छ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो अध्यापक ।

(2) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। विश्वविद्यालय की समस्त जंगम और स्थावर संपत्ति प्रबंध बोर्ड में होगी। उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा उपबंधित हैं, साधारण अधीक्षण और निदेशन का उपबंध करना और विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर नियंत्रण करना ;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों द्वारा किए गये विनिश्चयों का उस दशा में पुनरीक्षण करना, जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के अनुरूप न हों ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियां अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय का सहज कृत्यकरण संभव न हो ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) प्रबंध बोर्ड की किसी कलेंडर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(4) प्रबंध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी।

23. विद्या परिषद्.— (1) विद्या परिषद् में कुलपति और इतने अन्य सदस्य होंगे जितने परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) कुलपति विद्या परिषद का अध्यक्ष होगा।

(3) विद्या परिषद विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षिक निकाय होगी और इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेसों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों में समन्वय रखेगी और उन पर साधारण अधीक्षण का प्रयोग करेगी।

(4) विद्या परिषद की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

24. अन्य प्राधिकारी — विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संस्थना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

25. प्राधिकारी की सदस्यता के लिए निरहता — कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किन्हीं भी प्राधिकारियों का सदस्य होने के लिए निरहित होगा, यदि वह —

(क) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है ;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ;

(घ) प्राइवेट कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लग रहा है ; या

(ड) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है।

26. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.— विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी का कोई

कार्य या कार्यवाही उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

27. आपात रिक्तियों का भरा जाना .— किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या उसे हटाये जाने के कारण या जिस हैसियत से उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था उसमें परिवर्तन होने के कारण विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की सदस्यता में हुई कोई भी रिक्तियां यथासंभव शीघ्र ऐसे व्यक्ति या ऐसे निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने ऐसे सदस्य को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया था :

परन्तु किसी आपात रिक्ति के आधार पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, केवल शेष अवधि के लिए ऐसे प्राधिकारी का सदस्य रहेगा।

28. समिति .— विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे निर्देश-निबंधनों सहित इतनी समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों। ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

29. परिनियम .— (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कृत्य जो समय-समय पर गठित किये जायें ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और उसकी शक्तियां और कृत्य ;

- (ग) कुल-सचिव और मुख्य वित्त और लेखाधिकारी की नियुक्ति की रीति और निबंधन और शर्तें और उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;
- (घ) वह रीति जिससे और ऐसी कालावधि जिसके लिए प्रोवोस्ट और कुलानुशासक नियुक्त किये जायेंगे और उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;
- (ड) वह रीति जिससे संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;
- (च) अन्य अधिकारियों और अध्यापकों की नियुक्ति की रीति और निबंधन और शर्तें और उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;
- (छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें और उनके कृत्य ;
- (ज) अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;
- (झ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना ;
- (ञ) छात्रों को अध्यापन फीस के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियाँ और अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;
- (ट) स्थानों के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबंधित उपबंध ;
- (ठ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से संबंधित उपबंध ;
- (ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या से संबंधित उपबंध ;
- (ठ) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारियों का सृजन ;
- (ण) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

- (त) नये विभागों का सृजन और विद्यमान विभागों का समापन या पुनः संरचना ;
- (थ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना ;
- (द) पदों के सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया ;
- (ध) फीस का पुनरीक्षण ;
- (न) विभिन्न पाठ्य विवरणों में स्थानों की संख्या का परिवर्तन ; और
- (प) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विहित किये जाने हैं या विहित किये जायें।

(2) विश्वविद्यालय के परिनियम प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाये जायेंगे और राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये परिनियमों पर विचार करेगी और ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, सहित, जो वह आवश्यक समझे, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर उनका अनुमोदन करेगी।

(4) विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा यथाअनुमोदित परिनियमों पर अपनी सहमति से संसूचित करेगा और यदि वह उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये किन्हीं भी या समस्त उपान्तरणों को प्रभावी करने का इच्छुक नहीं है तो वह उसके लिए कारण दे सकेगा और ऐसे कारणों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(5) राज्य सरकार उसके द्वारा अंतिम रूप से यथाअनुमोदित परिनियमों को राजपत्र में प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात् परिनियम ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

30. आर्डिनेन्स .— (1) इस अधिनियम या तदंगीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित सनरत या किन्हीं भी मामलों के संबंध में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन ;
- (ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;
- (ग) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान किये जाने और अभिप्राप्त किये जाने के संबंध में किये जाने वाले उपाय ;
- (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकार्य, पदक और पुरस्कार प्रदान किये जाने की शर्तें ;
- (ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्यों को समिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन ;
- (च) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ;
- (छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;
- (ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में उपबंध ;
- (झ) ऐसे किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक जीवन सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाये ;
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहकार और सहयोग की रीति ; और
- (ट) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम या तदंगीन बनाये गये परिनियमों द्वारा आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित किये जाने अपेक्षित हों।

(2) विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स विद्या परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे जिन्हें प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तुत आर्डिनेन्सों पर राज्य सरकार, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर विचार करेगी और या तो उन्हें अनुमोदित करेगी या उनमें उपान्तरण के लिए सुझाव देगी।

(4) विद्या परिषद्, या तो राज्य सरकार के सुझावों को सम्मिलित करते हुए आर्डिनेन्सों को उपान्तरित करेगी या राज्य सरकार द्वारा दिये गये किन्हीं भी सुझावों को सम्मिलित न करने के कारण देगी और ऐसे कारण, यदि कोई हों, के साथ आर्डिनेन्स राज्य सरकार को वापस भेजेगी और उनकी प्राप्ति पर राज्य सरकार विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेगी और विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी।

**31. विनियम** .— विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, प्रबन्ध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए अपने स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम बना सकेंगे।

**32. प्रवेश** .— (1) विश्वविद्यालय में प्रवेश सर्वथा योग्यता के आधार पर किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर कियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समान पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य की किसी एजेन्सी द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार होगा।

33. फीस संरचना .— (1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के अनुमोदन के लिए भेजेगा।

(2) समिति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित फीस —

(क) निम्नलिखित के लिए, अर्थात् :-

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए स्रोत जुटाने के लिए ; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए;

पर्याप्त है ; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है,

तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित फीस संरचना तीन वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी और विश्वविद्यालय ऐसी फीस संरचना के अनुसार फीस प्रभारित करने का हकदार होगा।

- (4) विश्वविद्यालय ऐसी फीस से भिन्न, जिसके लिए वह उप-धारा  
 (3) के अधीन हकदार है, किसी भी नाम से कोई फीस प्रभारित नहीं  
 करेगा।

**34. परीक्षाएँ।**— प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ पर और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की 30 अगस्त तक न कि उसके पश्चात् विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची तैयार और प्रकाशित करेगा और उस अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा।

**स्पष्टीकरण।**— “परीक्षा की अनुसूची” से प्रत्येक प्रश्न पत्र, जो परीक्षा स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ के समय, दिन और तारीख के बारे में व्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें प्रायोगिक परीक्षाओं का व्यौरा भी सम्मिलित होगा :

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ रहा हो तो वह यथासंभव एक रिपोर्ट, उसमें प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी करेगी जो वह अनुसूची के अनुपालन के लिए उचित समझे।

**35. परिणामों की घोषणा।**— (1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा उस विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में ऐसे परिणाम ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर-भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय उपर्युक्त पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर-भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है तो विश्वविद्यालय एक रिपोर्ट, उसमें विलम्ब के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार उस प्रर ऐसे निदेश जारी करेगी जो वह उचित समझे।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा के परिणाम केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराये जायेंगे कि विश्वविद्यालय ने धारा 34 या, यथास्थिति, धारा 35 में यथा-नियत समय अनुसूची का पालन नहीं किया है।

**36. दीक्षांत समारोह**— विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति से आयोजित किया जायेगा।

**37. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन**— विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (रा.नि.प्र.प.) के मानकों के अनुरूप रा.नि.प्र.प. से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और राज्य सरकार और ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गये पाद्यकर्मों से संबद्ध हैं, रा.नि.प्र.प. द्वारा विश्वविद्यालय को दिये ग्रेड के बारे में सूचित करेगा। विश्वविद्यालय रा.नि.प्र.प. के मानकों के अनुरूप समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवायेगा।

**38. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का पालन किया जाना**— इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी सभी सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवायेगा जिनकी उनके द्वारा उनके कृत्यों का निर्वहन और उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षा की जाये।

**39. वार्षिक रिपोर्ट**— (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे और उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेंगी।

40. वार्षिक लेखे और संपरीक्षा ।— (1) विश्वविद्यालय के तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखे प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किये जायेंगे ।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) प्रबंध बोर्ड के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगी ।

(4) उप-धारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक लेखे और तुलनपत्र की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेंगी । विश्वविद्यालय के लेखाओं और संपरीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत राज्य सरकार की राय, यदि कोई हो, प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखी जायेगी । प्रबंध बोर्ड ऐसे निदेश जारी करेगा जो वह उचित समझे और अनुपालन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट की जायेगी ।

41. राज्य सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां।— (1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी अन्य विषय से संबंधित स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्हें वह उचित समझे, निरीक्षण करवायेगी ।

(2) राज्य सरकार सुधार कार्रवाई के लिए ऐसे निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशों से विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी । विश्वविद्यालय ऐसे सुधार उपाय अपनायेगा और सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बारे में प्रयास करेगा ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उप-धारा (2) के अधीन दी गयी सिफारिशों का अनुपालन युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर करने में विफल रहा है तो राज्य सरकार ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह ऐसे अनुपालन के लिए उचित समझे।

42. राज्य सरकार की सूचना की अपेक्षा करने की शक्तियाँ.— (1) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय से उसके कार्यकरण, कृत्यों, उपलब्धियों, शिक्षण स्तर, परीक्षा और अनुसंधान या ऐसे किन्हीं भी अन्य मामलों के संबंध में, जो वह विश्वविद्यालय की दक्षता के निर्णयन के लिए आवश्यक समझे, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जो नियमों द्वारा विहित किया जाये, सूचना की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन यथा—अपेक्षित सूचना विहित समय के भीतर भिजवाने के लिए आबद्ध होगा।

43. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.— (1) प्रायोजक निकाय राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को विहित रीति से इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम रूप से नोटिस देकर विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन राज्य सरकार के अनुमोदन और नियमित पाठ्यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।

44. कतिपय पुरिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ.— (1) यदि राज्य सरकार को यह ग्रतीत हो कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन

उसके द्वारा जारी किये गये किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा राज्य सरकार को दिये गये किन्हीं भी परिवर्चनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तो वह विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए इस बारे में नोटिस जारी करेगी कि उसके परिसमापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस पर विश्वविद्यालय का जवाब प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या आईडीनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये निदेश के अतिक्रमण का, या उसके द्वारा दिये गये परिवर्चनों का पालन बंद करने का या वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्ट्या मामला है तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी जो वह आवश्यक समझे।

(3) राज्य सरकार उप-धारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी अभिकथनों की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी जांच अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय निहित होती हैं, अर्थात् :-

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;
- (ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री जो साक्ष्य में पोषणीय हो, के प्रकटीकरण और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(6) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों पर उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन जारी किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा दिये गये परिवर्चनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है तो वह विश्वविद्यालय के परिसमाप्त के आदेश करेगी और एक प्रशासक नियुक्त करेगी और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और अधिकारी उस प्रशासक के आदेश और निदेश के अध्यधीन होंगे।

(7) उप-धारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन प्रबंध बोर्ड की समस्त शक्तियां होंगी और वह प्रबंध बोर्ड के समरत कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूर्ण न कर ले और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे, या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान न कर दिये जायें।

(8) नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों के अंतिम बैचों की उपाधियां, डिल्सोमे, या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात् प्रशासक इस प्रभाव की एक रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा।

(9) उप-धारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जायेगा और विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व ऐसी तारीख से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।

**45. नियम बनाने की शक्ति .-** (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**46. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति .-** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

47. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना .— इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, आर्डिनेन्सों के उपबंध, उन मामलों के संबंध में जिनके बारे में राज्य विधान-मण्डल को विधि बनाने की अनन्य शक्तियां हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।

48. निरसन और व्यावृतियां .— (1) मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 8) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

### अनुसूची 1

#### अवसंरचना

##### 1. भूमि :

ग्राम गंगरार, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ के खसरा सं. 3686 में समाविष्ट 30 एकड़ भूमि।

##### 2. भवन :

- (i) प्रशासनिक खण्ड
- (क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 15

[इकाइयों का प्रवर्ग	कुलाधिपति कार्यालय
	कुलपति कार्यालय

इकाइयों की संख्या

1

1

कुल-सचिव कार्यालय	1
प्रबंधन कक्ष	1
समेलन कक्ष	1
नियंत्रक कार्यालय	1
परीक्षा नियंत्रक कार्यालय	1
निदेशक अध्ययन बोर्ड कार्यालय	1
संकायाध्यक्ष कार्यालय	3
लेखा कार्यालय	1
परामर्श खण्ड	1
प्रशासनिक कार्यालय	2]
(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 2604 वर्गमीटर	
(ii) शैक्षणिक खण्ड	
(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 35	

[इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
---------------------	-------------------

कक्षाएं	08
अध्यापन कक्ष	02
प्रयोगशाला	16
पुस्तकालय	01
कर्मचारिवृद्धि कक्ष	01
भंडार	01
संगीत कक्ष	01
श्रव्य दृश्य कक्ष	01
विभागीय पुस्तकालय	02
वाचनालय	02]

(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 8356 वर्गमीटर

## (iii) आवासीय खंड

(क) अध्यापक / अधिकारी निवास

(i) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग: 16

[इकाइयों का प्रवर्ग इकाइयों की संख्या

संकाय सदस्य और कर्मचारी निवास 16]

(ii) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 1440 वर्गमीटर

## (ख) छात्र आवास

(i) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 01

[ इकाइयों का प्रवर्ग इकाइयों की संख्या

छात्रावास (192 के लिए बैठने की क्षमता वाले 64 कक्ष) 01]

(ii) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 3464 वर्गमीटर

कुल सन्निर्मित क्षेत्र : 15864 वर्गमीटर

## 3. संकाय :

आचार्य 04

सह-आचार्य 11

सहायक-आचार्य 29

## 4. शैक्षणिक सुविधाएं :

(i) पुस्तकालय :

क्रम सं.	शाखा	पुस्तकें	शीषक	पत्र-पत्रिकाएं	एनसाइक्लो पीडिया
1	2	3	4	5	6
1.	यांत्रिक	281	82	3	—
2.	वैद्युत	1424	404	7	—
3.	इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार	1647	437	7	—
4.	कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्यागिकी	1922	514	7	—
5.	प्रबंधन	980.	138	10	3

1	2	3	4	5	6
6.	शिक्षा	1117	127	4	5
7.	गणित	424	123	2	—
8.	अंग्रेजी	113	40	2	5
9.	पर्यावरण विज्ञान	47	14	2	1
10.	भौतिक विज्ञान	353	43	2	—
11.	रसायन विज्ञान	397	41	2	—
12.	सामान्य विषय	647	99	4	4
	योग	9352	2062	52	18

## (ii) प्रयोगशालाएं

यांत्रिक अभियांत्रिकी प्रयोगशाला  
 वैद्युत प्रयोगशाला  
 इलैक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला  
 रसायन विज्ञान प्रयोगशाला  
 भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला  
 भाषा प्रयोगशाला  
 कम्प्यूटर प्रयोगशाला  
 अभियांत्रिकी ग्राफिक्स प्रयोगशाला  
 मनोविज्ञान प्रयोगशाला  
 ऊर्जा संपरिवर्तन प्रयोगशाला  
 नियंत्रण अभियांत्रिकी प्रयोगशाला  
 प्रगत इलैक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला  
 परियोजना प्रयोगशाला  
 नेनो प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला  
 डाटाबेस प्रयोगशाला

## (iii) वाचनालय : प्रत्येक विभाग के लिए पृथक् वाचनालय

अन्य सुविधाएं :  
 निवेशव्यापी इन्टरनेट सहित वाई-फाई संबद्धता  
 योग और ध्यान कक्षाएं  
 वाद्यय यंत्र और लर्निंग कक्षाएं  
 अत्याधुनिक रसोइधर सहित भोजनालय  
 कक्षाओं में लैपटाप और एलसीडी प्रोजेक्टर

5. सह-पाठ्यचर्चा कियाकलापों के लिए सुविधाएं

इन्डोर खेल सुविधाएं :-

शतरंज, कैरम, टेबिलटेनिस, व्यायामशाला

आउटडोर खेल सुविधाएं :-

किकेट, वॉलीबाल, बारकेटबाल, बैडमिंटन, घुड़सवारी

अनुसूची 2

वे शाखाएं जिनमें विश्वविद्यालय अध्ययन और अनुसंधान का जिम्मा लेगा।

1. प्रबंधन :

निम्नलिखित विषयों में,- (प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातक आनर्स उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, एम.फिल., एकीकृत कार्यक्रम, डॉक्टरल कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम) :-

वित्त

विपणन

मानव संसाधन प्रबंधन और विकास

बैंक और बीमांकन

कोषागार और धन प्रबंधन

खुदरा प्रबंधन

बृहत् परियोजना प्रबंधन

स्टॉक और वस्तु बाजार

आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन

अन्तर्राष्ट्रीय कारबार

होटल और आतिथ्य

पर्यटन प्रबंधन

2. कम्प्यूटर विज्ञान और प्रणाली अध्ययन :

निम्नलिखित विषयों में,- (प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातक आनर्स उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, एम.फिल., एकीकृत कार्यक्रम, डॉक्टरल कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम) :-

कम्प्यूटर अनुप्रयोग

सूचना प्रणाली प्रबंधन

नेटवर्किंग और सुरक्षा प्रबंधन

डाटाबेस प्रशासन

परीक्षण और गुणवत्ता निर्धारण

डाक्यूमेंटेशन प्रबंधन

ई आर पी प्रबंधन

3. विधि अध्ययन :

निम्नलिखित विषयों में,- (प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातक आनर्स उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, एम. फिल. एकीकृत कार्यक्रम, डॉक्टरल कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम):-

विधि.

सिविल और सांविधानिक अध्ययन

अपराध विज्ञान और न्याय संबंधी विज्ञान

आई पी आर और प्रौद्योगिकी विधि

अन्तर्राष्ट्रीय विधि

4. शिक्षा और मनोविज्ञान :

निम्नलिखित विषयों में,- (प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातक आनर्स उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, एम.फिल., एकीकृत कार्यक्रम, डॉक्टरल कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम):-

शिक्षा

मनोविज्ञान

विद्यालय / महाविद्यालय प्रबंधन

विषयवस्तु विकास

प्रशिक्षण

शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद

5. अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी :

निम्नलिखित विषयों में,— (प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातक आनंद उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, एकीकृत कार्यक्रम, डॉक्टरल कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम) :-

इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार

कम्प्यूटर विज्ञान

सूखना प्रौद्योगिकी

वैद्युत

यान्त्रिक

स्थापत्य कला

सिविल

जैव प्रौद्योगिकी

पैट्रो- रसायन

नेनो प्रौद्योगिकी

6. व्यावसायिक अध्ययन :

निम्नलिखित विषयों में ( प्रमाणपत्र और डिप्लोमा कार्यक्रम) :-

हस्तकला

खुदरा प्रबंधन

कम्प्यूटर अनुप्रयोग

ड्रेस डिजाइनिंग

आन्तरिक साज सज्जा

टेक्स्टाइल प्रोसेसिंग

गाइड और पर्यटन

स्टीवार्ड्स और हास्टेस

खनन संकर्म

लॉगिस्टिक्स

बीमा

प्रसुविधा संधारण

खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण

## 7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी :

निम्नलिखित विषयों में (प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातक आनर्स उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, एम.फिल., एकीकृत कार्यक्रम, डॉक्टरल कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम) :-

भौतिक विज्ञान

जैव-भौतिक विज्ञान

इलैक्ट्रॉनिक्स

गणित

सांख्यिकी

रसायन विज्ञान

जैव रसायन विज्ञान

सूक्ष्म जीव विज्ञान

जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय विज्ञान

## 8. मानविकी, सामाजिक विज्ञान और ललित कलाएँ :

निम्नलिखित विषयों में (प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातक आनर्स उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, एम.फिल., एकीकृत कार्यक्रम, डॉक्टरल कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम) :-

अंग्रेजी

हिन्दी

विदेशी भाषाएं

क्षेत्रीय भाषाएं

अर्थशास्त्र

समाजशास्त्र

ललित और परफोर्मिंग कलाएँ

इतिहास

राजनैतिक विज्ञान और भूगोल

## 9. कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान :

निम्नलिखित विषयों में ( प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातक आनंद उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, एम.फिल., एकीकृत कार्यक्रम, डॉक्टरल कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम ) :-

कृषि

फार्म मशीनरी

खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी

पशुचिकित्सा विज्ञान

ऊर्जा और पर्यावरण

मन्त्र्य विज्ञान

सिंचाई और वन विज्ञान

## 10. जन और मीडिया संचार :

निम्नलिखित विषयों में ( प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातक आनंद उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, एम.फिल., एकीकृत कार्यक्रम, डॉक्टरल कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम ) :-

जन और मीडिया संचार

पत्रकारिता

थियेटर

फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन

जन संपर्क और विज्ञापन

## 11. चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और सह-चिकित्सा : निम्नलिखित विषयों में (प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातक आनंद उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, एकीकृत कार्यक्रम, डॉक्टरल कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम) :-

आयुर्विज्ञान

शल्य चिकित्सा

नर्सिंग

फार्मसी

दंत चिकित्सा

12. वैकल्पिक चिकित्सा – होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, योग, ज्योतिष :  
निम्नलिखित विषयों में (प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि,  
स्नातक आनंद उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, एकीकृत कार्यक्रम, डॉक्टरल  
कार्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम) :-

होम्योपैथी  
आयुर्वेद  
यूनानी  
योग और ज्योतिष

एस. एस. कोठारी,  
प्रमुख शासन सचिव।

### LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, February 5, 2009

No.F.2(1)Vidhi/2/2009.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Mewar Vishwavidhyalaya, Chittorgarh Adhiniyam, 2009 (2009 Ka Adhiniyam Sankhyank 4):-

*(Authorised English Translation)*

### THE MEWAR UNIVERSITY, CHITTORGARH ACT, 2009

(Act No. 4 of 2009)

(Received the assent of the Governor on the 3<sup>rd</sup> day of February, 2009)

An

Act

*to provide for establishment and incorporation of the Mewar University, Chittorgarh in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.*

Whereas, with a view to keep pace with the rapid development in all spheres of knowledge in the world and the